177

संख्या–1609/XXVIII–5–2014–176/2009

प्रेषक,

शिवेन्द्र नारायण सिंह,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 30 सितम्बर, 2014

विषयः बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ के नवचयनित स्थल पर निर्माण किये जाने हेतु डी0पी0आर0 के गठन के लिए प्रारम्भिक आगणन की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/3/2009/24998 दिनांक 16 सितम्बर,2014 के कम में बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ का निर्माण नवचयनित स्थल पिथौरागढ–चण्डाक मोटर मार्ग पर ग्राम–लिन्ठ्यूडा में किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1566/XXVIII–5–2014–-176/2009 दिनांक 12.09.2014 द्वारा ₹100.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण इकाई द्वारा उक्त धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत निर्माण हेतु डी0पी0आर0 गठन के लिए प्रारम्भिक आगणन ₹99.37 लाख उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त प्रारम्भिक आगणन का टी0ए0सी0, वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त अनुमोदित लागत ₹98.49 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹73.49 लाख तथा अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यों हेतु ₹25.00 लाख) पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा/अनुश्रवण करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और यथा निर्धारित प्रकियानुसार प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की

जायेगी। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वि0वि0 के शासनादेश संख्या–475 /XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजायन/मानक पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से बिषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि से तदनुसार कार्यवाही की जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–162(पी)/XXVII(3)/2014 दिनांक 30 सितम्बर,2014 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शिवेन्द्र नारायण सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 1609(1)/ /XXVIII–5–2014–176/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ।
8. परियोजना प्रबन्धक, अवस्थापना विकास निगम,देहरादून/पिथौरागढ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवेन्द्र नारायण सिंह)
अनु सचिव।